विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 55

निर्वाचन आयोग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	68.18	68.18	...	76.00	76.00	...	68.29	68.29	...	81.52	81.52
पूंजी		***...***	*1.00*	*1.00*	*...*	*4.00*	*4.00*	*...*	*17.00*	*17.00*	*...*	*40.00*	*40.00*
जोड़		**...**	**69.18**	**69.18**	**...**	**80.00**	**80.00**	**...**	**85.29**	**85.29**	**...**	**121.52**	**121.52**
निर्वाचन													
1. भारत का निर्वाचन आयोग	2015	...	68.18	68.18	...	76.00	76.00	...	68.29	68.29	...	81.52	81.52
	4059	...	1.00	1.00	...	4.00	4.00	...	17.00	17.00	...	40.00	40.00
	जोड़	*...*	*69.18*	*69.18*	*...*	*80.00*	*80.00*	*...*	*85.29*	*85.29*	*...*	*121.52*	*121.52*
कुल जोड़		***...***	***69.18***	***69.18***	***...***	***80.00***	***80.00***	***...***	***85.29***	***85.29***	***...***	***121.52***	***121.52***

1. यह प्रावधान मुख्यतः भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र तथा निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) कैम्पस के निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें आयोग में कम्प्यूटर मदों की खरीद तथा उनके रख-रखाव तथा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण की योजना के लिए प्रावधान भी सम्मिलित है।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए बजट समर्थन का प्रावधान करने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग संसद तथा विधान सभाओं आदि के लिए निवार्चन संबंधी सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, परंतु इस क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।